

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-305/2021-22/ 20 (317)

मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य के सचिव,
सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

मत्स्य/राँची/दिनांक 02.03.2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत मो0 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0-44 रा0 (वि0) दिनांक 13.02.2023 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 2291 तथा सामान्य आवंटनादेश सं0 70 आ0 (वि0) दि0 22.02.2023, ऑनलाईन आवंटन सं0 4117 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 के सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0-44 रा0 (वि0) दिनांक 13.02.2023 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 2291 तथा सामान्य आवंटनादेश सं0 70 आ0 (वि0) दि0 22.02.2023, ऑनलाईन आवंटन सं0 4117 के आलोक में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-62-नई योजना ब्लू रेभोल्यूशन योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत मो0 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) रु0 मात्र के निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन कुल स्वीकृत राशि मो0 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) रु0 के विरुद्ध आवंटित है ।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 एवं 533 (वि0) दिनांक 03.03.2004 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

3. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाये। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

4. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-29/बी.टी.ई.0-11/2021-22/245/बजट, दिनांक-30.03.2022 एवं पत्रांक-29/बी.टी.ई.0-05/2022-23/692/बजट, दिनांक-27.12.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

5. वित्तीय वर्ष 2022-23 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-62-नई योजना ब्लू रेभोल्यूशन योजना (के0 प्रा0 यो0) अंतर्गत निधि का आवंटन:-

क्र0	स्थापना का नाम	(राज्यांश) विस्तृत शीर्ष- 08-लेखा समायोजन-86-वापसी विपत्र कोड- 53S24050079662010886	
		(केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष- 08-लेखा समायोजन-86-वापसी विपत्र कोड- 53C24050079662010886	
		राज्यांश	केन्द्रांश
1	निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची	0	840000
कुल योग :		0	840000

कुल आवंटन आठ लाख चालीस हजार रुपये मात्र ।

- राशि की निकासी झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी योजना में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न हो।
- राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों/कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप अंकित हो ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
- स्वीकृत राशि के दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- आवंटित राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से एकमुश्त में करते हुए केन्द्र सरकार Pay and Account Officer (PAO), Sectt. II, Department of Fisheries, MOF, AH&D, New Delhi को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी।
- स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के कंडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाए।
- सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन।

20 (अ०)
02/03/2023

विश्वासभाजन

21/3/23
(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 20 (अ-10) मत्स्य/ राँची, दिनांक 02.03.2023

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 20 (अ-10) मत्स्य/राँची, दिनांक 02.03.2023

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2/3/23

2/3/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/305/22-23/20

दिनांक - 02-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 53 24050079662010886 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 62 - नई योजना - ब्लू रिभोल्यूशन योजना 01-ब्लू रिभोल्यूशन 08 - लेखा समायोजन Central Scheme State Scheme : Central Scheme :	88444	DRNFSD007 PRABHA NIRMALA MINZ SECTT TO DIR FISHERIES (TECH) 86 - वापसी	840,000.00 रुपये आठ लाख चालीस हजार



योग:

क्रमिक योग:

रुपये आठ लाख चालीस हजार

840,000.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR, FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 62 - नई योजना - ब्लू रेभोल्यूशन योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53C24050079662010886	Total
1	Doranda	DRNF07	Prabha Nirmla Minz	Sectt To Dir Fishries (Tech)	₹8,40,000.00 (88444)	₹8,40,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹8,40,000.00 (vkB yk[k pkyhl gtlkj) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

20(3110)
02/03/2023

M. J. S.

21/3/23
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

